

भाग-V

प्रस्ताव सं०-42005/2019

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CE Basti

.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृत
संस्तुति की जाती है।


हस्ताक्षर
Pankaj Misra

Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

दिनांक- 8/10/2019

स्थान-

सरकारी मोहर